भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2782
मंगलवार, 18 मार्च, 2025/27 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

'सहकार से समृद्धि'

2782. श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री चिन्तामणि महाराज:
श्रीमती पूनमबेन माडम:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी :

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात में " सहकार से समृद्धि" तथा सहकारी समितियों के बीच सहयोग की सफलता के अनुभवों को अन्य राज्यों में किस प्रकार लागू किया जाएगा;
(ख) सभी राज्यों में सहकारी समितियों के समान विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) राज्यों में सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और क्या वर्तमान में सहकारी आंदोलन कमजोर है; और
(घ) सरकार सहकारी आधारित उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक किस प्रकार पहुंच बढ़ाने की योजना बना रही है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए " सहकार से समृद्धि" के मंत्र के माध्यम से देश में समृद्धि प्राप्त करने के लिए , केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री द्वारा 21 मई, 2023 को गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) में ' सहकारिता में सहकार' को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई ताकि ग्रामीण सहकारी बैंकों के साथ प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों (पीडीसीएस) के सभी वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा दिया जा सके और सहकारी क्षेत्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। पायलट परियोजना के तहत की गई गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

i. **डेयरी सहकारी समितियों को DCCBs का बैंक मित्र बनाया गया**: डिजिटल वित्तीय लेनदेन के माध्यम PDCS के व्यवसाय को आसान बनाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, डोरस्टेप

वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए नाबार्ड के वित्तीय समावेशन कोष (FIF) के सहयोग से इन बैंक मित्र PDCS को माइक्रो-एटीएम दिए गए थे ।

ii. **DCCBs के माध्यम से रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)**: DCCBs के व्यवसाय और पहुंच का विस्तार करने और डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक तरलता/ ऋण प्रदान करने के लिए, DCCBs द्वारा PDCS के सदस्यों को तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दरों पर समय पर ऋण प्रदान करने और अन्य वित्तीय लेनदेन को सक्षम बनाने के लिए रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी किए गए थे।

iii. अभियान के बारे में वित्तीय साक्षरता शिविरों (FLCs) के माध्यम से जागरूक बनाया गया था, जिसे वित्तीय समावेशन निधि (FIF) के द्वारा सहायता प्रदान की गई थी।

पायलट प्रोजेक्ट के दौरान मिले अनुभवों के आधार पर, अभियान का विस्तार किया गया और 15 जनवरी 2024 से इसे गुजरात के सभी जिलों में लॉन्च किया गया। राज्यव्यापी अभियान के दौरान उपलब्धियां नीचे दी गई हैं-

- डीसीसीबी द्वारा 2,23,994 से अधिक नए रुपे केसीसी जारी किए गए।
- नए बैंक मित्र पीडीसीएस को 6,446 माइक्रो-एटीएम वितरित किए गए
- 6,529 बैंक मित्र नामांकित किये गये
- 23 लाख से अधिक जमा खाते खोले गए
- जमा राशि 8,329 करोड़ रुपये बढ़ी

'सहकारिता में सहकार' अभियान के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया 19.09.2024 को जारी की गई।

(ख) से (ग) सहकारिता मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी के साथ देश भर में सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलें (**अनुलग्नक संलग्न**) की हैं, जिससे सभी राज्यों में सहकारी समितियों का एक समान विकास सुनिश्चित हो रहा है। इन पहलों में उन राज्यों में सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम भी शामिल हैं, जहां वर्तमान में सहकारी आंदोलन अच्छी स्थिति में नहीं है।

(घ) सहकारिता आधारित उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) की स्थापना की है । राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) देश की भौगोलिक रूपरेखा से परे व्यापक बाजारों तक पहुंच बनाकर भारतीय सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध अधिशेष के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे दुनिया भर में भारतीय सहकारी उत्पादों/सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी और ऐसे उत्पादों/सेवाओं के लिए सर्वोत्तम संभव मूल्य प्राप्त होंगे । यह सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रमाणन, अनुसंधान और विकास आदि सहित विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देगा । 8, 863 सहकारी समितियां राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) की सदस्य बन गई हैं ।

अनुलग्नक

सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई प्रमुख पहलों पर प्रगति

सहकारिता मंत्रालय, द्वारा 6 जुलाई, 2021 में अपनी स्थापना के बाद से , " सहकार -से-समृद्धि" के विजन को साकार करने और देश में प्राथमिक से लेकर शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों तक सहकारी आंदोलन को मजबूत और गहरा करने के लिए कई पहल की गई हैं। अब तक की गई पहलों और प्रगति की सूची इस प्रकार है:

A. **प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत और पारदर्शी बनाना**

1. **पैक्स को बहुउद्देशीय, बहुआयामी और पारदर्शी संस्थाएं बनाने के लिए आदर्श उपनियम** : सरकार ने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय स्तर के संघों, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी), आदि सहित सभी हितधारकों के परामर्श से पैक्स के लिए आदर्श उपनियम तैयार किए हैं और सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे हैं, जो पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियां करने, अपने परिचालन में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने में सक्षम बनाते हैं। महिलाओं और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी और व्यापक बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। अब तक 32 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने आदर्श उपनियमों को अपनाया है या उनके मौजूदा उपनियम मॉडल उपनियमों के अनुरूप हैं।

2. **कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स को मजबूत बनाना** : पैक्स को मजबूत बनाने के लिए, भारत सरकार द्वारा ₹2,516 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें देश के सभी कार्यात्मक पैक्स को एक सामान्य ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना, उन्हें एस.टी.सी.बी. और डी.सी.सी.बी. के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना शामिल है। परियोजना के तहत 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 67,930 पैक्स को मंजूरी दी गई है। कुल 50,455 पैक्स को ईआरपी सॉफ्टवेयर पर शामिल किया गया है और 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा हार्डवेयर खरीदा गया है।

3. **सभी पंचायतों को कवर करने के लिए नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना** : भारत सरकार ने अगले पाँच वर्षों में देश की सभी पंचायतों और गाँवों को कवर करने के उद्देश्य से नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को मंजूरी दी है। इस पहल को नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों का समर्थन प्राप्त है। पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, हितधारकों के लिए लक्ष्य और समयसीमा दर्शाते हुए 19.9.2024 को ' मार्गदर्शिका ' शुरू की गई है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, 15.2.2023 को योजना के अनुमोदन के बाद से 27.1.2025 तक देश भर में कुल 12,957 नई पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियाँ पंजीकृत की गई हैं।

4. **सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना** : सरकार ने एआईएफ, एएमआई, एसएमएएम, पीएमएफएमई आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से पीएसीएस स्तर पर अनाज भंडारण के लिए गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर , प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां और अन्य कृषि -बुनियादी ढांचे बनाने की योजना को मंजूरी दी है।

इससे खाद्यान्न की बर्बादी और परिवहन लागत में कमी आएगी, किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य मिल सकेंगे और पीएसीएस स्तर पर ही विभिन्न कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 राज्यों की 11 पीएसीएस में गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है।

5. **सेंटर (सीएससी) के रूप में पीएसीएस** : सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच पीएसीएस के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/ अपडेशन , स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड और आईआरसीटीसी/बस/एयर टिकट आदि जैसी 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब तक 42,080 पीएसीएस ने ग्रामीण नागरिकों को सीएससी सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है।

6. **पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन** : सरकार ने एनसीडीसी के सहयोग से पैक्स द्वारा 1100 अतिरिक्त एफपीओ के गठन की अनुमति दी है, उन ब्लॉकों में जहां अभी तक एफपीओ का गठन नहीं किया गया है या वे ब्लॉक किसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसी के दायरे में नहीं आते हैं। 1100 ब्लॉकों के इस आवंटन के मुकाबले 27.01.2025 तक 958 एफपीओ पंजीकृत/ऑन-बोर्ड किए जा चुके हैं। इसके अलावा, सहकारी क्षेत्र में एनसीडीसी द्वारा पहले ही 730 एफपीओ का गठन किया जा चुका है। आज की तिथि तक, सहकारी क्षेत्र में एनसीडीसी द्वारा कुल 1,688 एफपीओ पंजीकृत/ऑन-बोर्ड किए जा चुके हैं। यह किसानों को आवश्यक बाजार संपर्क प्रदान करने और उनकी उपज के लिए उचित और लाभकारी प्रक्रिया प्राप्त करने में सहायक होगा।

7. **खुदरा पेट्रोल/डीजल दुकानों के लिए PACS को प्राथमिकता दी गई** : सरकार ने खुदरा पेट्रोल/डीजल दुकानों के आवंटन के लिए PACS को संयुक्त श्रेणी 2 (CC2) में शामिल करने की अनुमति दी है। तेल विपणन कंपनियों (OMCs) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 286 PACS ने खुदरा पेट्रोल/डीजल दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है।

8. **थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने की अनुमति दी गई** : मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स को तेल विपणन कंपनियों द्वारा खुदरा दुकानों में बदलने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया है। तेल विपणन कंपनियों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, 5 राज्यों के 116 थोक उपभोक्ता पंप लाइसेंसधारी पैक्स ने खुदरा दुकानों में बदलने के लिए सहमति दे दी है, जिनमें से 56 पैक्स को तेल विपणन कंपनियों द्वारा चालू कर दिया गया है।

9. **अपनी गतिविधियों में विविधता लाने के लिए एलपीजी वितरक के लिए पात्र पैक्स** : सरकार ने अब पैक्स को एलपीजी वितरक के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है। इससे पैक्स को अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और अपनी आय के स्रोत में विविधता लाने का विकल्प मिलेगा। अब तक झारखंड राज्य से 2 पैक्स ने सीसी श्रेणी के तहत एलपीजी वितरक के लिए आवेदन किया है।

10. **ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में PACS** : PACS को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) संचालित करने की अनुमति दी गई है, जो उन्हें अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान करेगा और ग्रामीण नागरिकों के लिए

गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं तक पहुंच को आसान बनाएगा। अब तक, 4,523 PACS/ सहकारी समितियों ने PMBJK के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, जिनमें से 2,744 PACS को फार्मास्युटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) द्वारा प्रारंभिक अनुमोदन दिया गया है और 785 PACS को राज्य औषधि नियंत्रकों से दवा लाइसेंस प्राप्त हुआ है और 716 PACS को PMBI से स्टोर कोड मिले हैं जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं। केन्द्र .

11. **प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) के रूप में पैक्स:** देश में किसानों को उर्वरक और संबंधित सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पैक्स को पीएमकेएसके संचालित करने में सक्षम बनाया गया है। उर्वरक विभाग (भारत सरकार) और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, कुल 36,193 पैक्स पीएमकेएसके के रूप में कार्य कर रहे हैं।

12. **ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जलापूर्ति योजनाओं (पीडब्लूएस) के संचालन एवं रख-रखाव का कार्य पीएसीएस द्वारा किया जाएगा** : पीएसीएस को ग्रामीण क्षेत्रों में पीडब्लूएस के संचालन एवं रख-रखाव (ओएंडएम) के लिए पात्र बनाया गया है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 13 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा पंचायत/ग्राम स्तर पर संचालन एवं रख-रखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए 934 पीएसीएस की पहचान/चयन किया गया है।

13. **पैक्स स्तर पर पीएम-कुसुम का अभिसरण** : पैक्स से जुड़े किसान सौर कृषि जल पंप अपना सकते हैं और अपने खेतों में फोटोवोल्टिक मॉड्यूल स्थापित कर सकते हैं।

14. **बैंक मित्र सहकारी समितियों को घर-घर वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए माइक्रो-एटीएम** : डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को डीसीसीबी और एसटीसीबी का बैंक मित्र बनाया जा सकता है । व्यापार में आसानी, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए, नाबार्ड के सहयोग से इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को 'घर-घर वित्तीय सेवाएँ' प्रदान करने के लिए माइक्रो-एटीएम भी दिए जा रहे हैं। पहल के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, 19 सितंबर 2024 को एक एसओपी शुरू किया गया है। [अब] तक, गुजरात में बैंक मित्र सहकारी समितियों को 8,322 माइक्रो-एटीएम वितरित किए जा चुके हैं।

15. **दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड** : डीसीसीबी/ एसटीसीबी की पहुंच बढ़ाने और डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक नकदी उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वितरित किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके और उन्हें अन्य वित्तीय लेनदेन करने में सक्षम बनाया जा सके। इस पहल के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए 19 सितंबर 2024 को एक एसओपी शुरू की गई है। [अब] तक गुजरात राज्य में 7,43,810 रुपे केसीसी वितरित किए जा चुके हैं।

16. **मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) का गठन** : मछुआरों को बाजार संपर्क और प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने के लिए , एनसीडीसी ने पंजीकृत किए हैं 70 प्रारंभिक चरण में एफएफपीओ। इसके अलावा, मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार ने 1000मौजूदा मत्स्य सहकारी

समितियों को एफएफपीओ में परिवर्तित करने का काम राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को आवंटित किया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 280.65 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ एफएफपीओ के रूप में मजबूत करने के लिए 997 प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों की पहचान की है।

17. **श्वेत क्रांति 2.0** : सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी नेतृत्व वाली "श्वेत क्रांति 2.0" की शुरुआत करने के लिए एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य सहकारी कवरेज, रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण का विस्तार करना है, जिसका उद्देश्य "कवर किए गए क्षेत्रों में डेयरी किसानों को बाजार पहुंच प्रदान करके और संगठित क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाकर अगले पांच वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों की दूध खरीद को वर्तमान स्तर से 50% तक बढ़ाना है।" श्वेत क्रांति 2.0 के लिए एसओपी 19.11.2024 को माननीय गृह और सहकारिता मंत्री द्वारा माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री की उपस्थिति में लॉन्च किया गया था। 25.12.2024 को माननीय गृह और सहकारिता मंत्री ने माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री की उपस्थिति में 6,600 नव स्थापित डेयरी सहकारी समितियों का उद्घाटन किया।

18. **आत्मनिर्भर अभियान** : सहकारिता मंत्रालय ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए दालों (अरहर, मसूर और उड़द) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) के माध्यम से इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इथेनॉल के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मक्का के उत्पादन की पहल शुरू की है। दोनों ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों के पंजीकरण के लिए क्रमशः ई- संयुक्ति और ई- समृद्धि जैसे अपने स्वयं के वेब पोर्टल विकसित किए हैं। दोनों ने अरहर, उड़द, मसूर और मक्का के पूर्व पंजीकृत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उनकी उपज का 100 % खरीदने का आश्वासन दिया है। हालांकि, यदि बाजार मूल्य एमएसपी से अधिक है, तो किसान अपनी उपज खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार, नैफेड के ई- समृद्धि पोर्टल पर 6,75,178 किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है।

B. <u>शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को मजबूत बनाना</u>

19. **शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए नई शाखाएं खोलने की अनुमति दे दी गई है:** यूसीबी अब आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना पिछले वित्तीय वर्ष में मौजूदा शाखाओं की संख्या के 10% (अधिकतम 5 शाखाएं) तक नई शाखाएं खोल सकते हैं।

20. **आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को उनके घर तक सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है:** शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अब डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा सकेगी। इन बैंकों के खाताधारक अब घर बैठे विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे, जैसे कि नकद निकासी, नकद जमा, केवाईसी, डिमांड ड्राफ्ट और पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र आदि।

21. **सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का एकमुश्त निपटान करने की अनुमति दी गई है:** सहकारी बैंक, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से, अब तकनीकी बट्टे खाते में डालने के साथ-साथ उधारकर्ताओं के साथ निपटान की प्रक्रिया भी प्रदान कर सकते हैं।

22. **यूसीबी को दिए गए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय सीमा बढ़ाई गई** : आरबीआई ने यूसीबी के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्य को प्राप्त करने की समयसीमा दो साल यानी 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी है।

23. **शहरी सहकारी बैंकों के साथ नियमित संपर्क के लिए आरबीआई ने एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है** : सहकारी क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए , आरबीआई ने एक नोडल अधिकारी को अधिसूचित किया है।

24. **ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों के लिए आरबीआई ने व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा दोगुनी से अधिक की:**
    a. शहरी सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा अब 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दी गई है।
    b. ग्रामीण सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा को ढाई गुना बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया गया है।

25. **ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक अचल संपत्ति/आवासीय आवास क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम होंगे, जिससे उनके व्यवसाय में विविधता आएगी** : इससे न केवल ग्रामीण सहकारी बैंकों को अपने व्यवसाय में विविधता लाने में मदद मिलेगी, बल्कि आवास सहकारी समितियों को भी लाभ होगा।

26. **सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क घटाया गया** : सहकारी बैंकों को 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (AePS) से जोड़ने के लिए लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से जोड़कर घटा दिया गया है। सहकारी वित्तीय संस्थाओं को भी प्री-प्रोडक्शन चरण के पहले तीन महीनों के लिए यह सुविधा निःशुल्क मिलेगी। इससे अब किसानों को बायोमेट्रिक्स के माध्यम से अपने घर पर बैंकिंग की सुविधा मिल सकेगी।

27. **बिना किसी गारंटी के ऋण** प्राप्त कर सकेंगे **।**

28. **शहरी सहकारी बैंकों को शामिल करने के लिए अनुसूची मानदंडों की अधिसूचना:** शहरी सहकारी बैंक जो 'वित्तीय रूप से सुदृढ़ और अच्छी तरह से प्रबंधित' (एफएसडब्लूएम) मानदंडों को पूरा करते हैं और पिछले दो वर्षों से टियर 3 के रूप में वर्गीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम जमा बनाए रखते हैं, अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की अनुसूची II में शामिल होने और 'अनुसूचित' दर्जा प्राप्त करने के पात्र हैं।

29. **आरबीआई ने स्वर्ण ऋण के लिए मौद्रिक सीमा दोगुनी कर दी:** आरबीआई ने उन शहरी सहकारी बैंकों के लिए मौद्रिक सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी है जो पीएसएल लक्ष्य को पूरा करते हैं।

30. **शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यापक संगठन** : आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के राष्ट्रीय महासंघ (एनएएफसीयूबी) को यूसीबी क्षेत्र के लिए एक व्यापक संगठन (यूओ) के गठन के लिए मंजूरी दे दी है, जो लगभग 1,500 यूसीबी को आवश्यक आईटी बुनियादी ढांचा और परिचालन सहायता प्रदान करेगा।

C. <u>आयकर अधिनियम में सहकारी समितियों को राहत</u>

31. **1 से 10 करोड़ रुपये तक की आय वाली सहकारी समितियों के लिए अधिभार 12% से घटाकर 7% किया गया: इससे सहकारी** समितियों पर आयकर का बोझ कम होगा और उनके पास अपने सदस्यों के लाभ के लिए कार्य करने हेतु अधिक पूंजी उपलब्ध होगी।

32. **सहकारी समितियों के लिए एमएटी को 18.5% से घटाकर 15% किया गया:** इस प्रावधान से अब सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच समानता आ गई है।

33. **आयकर अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत नकद लेनदेन में राहत :** आयकर अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत सहकारी समितियों द्वारा नकद लेनदेन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए, सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि एक सहकारी समिति द्वारा अपने वितरक के साथ एक दिन में किए गए 2 लाख रुपये से कम के नकद लेनदेन को अलग से माना जाएगा, और उस पर आयकर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

34. **नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती:** सरकार ने निर्णय लिया है कि 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण गतिविधियाँ शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों के लिए पहले की 30% प्लस अधिभार की दर की तुलना में 15% की एक समान कम कर दर वसूली जाएगी। इससे विनिर्माण क्षेत्र में नई सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहन मिलेगा।

35. **पैक्स और पीसीएआरडीबी द्वारा नकद जमा और नकद ऋण की सीमा में वृद्धि:** सरकार ने पैक्स और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) द्वारा नकद जमा और नकद ऋण की सीमा 20,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति सदस्य कर दी है। इस प्रावधान से उनकी गतिविधियों में सुविधा होगी, उनका व्यवसाय बढ़ेगा और उनकी समितियों के सदस्यों को लाभ होगा।

36. **नकद निकासी में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की सीमा में वृद्धि:** सरकार ने स्रोत पर कर कटौती के बिना सहकारी समितियों की नकद निकासी की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दी है। इस प्रावधान से सहकारी समितियों के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की बचत होगी, जिससे उनकी तरलता बढ़ेगी।

D. <u>सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार</u>

37. **चीनी सहकारी मिलों को आयकर से राहत : सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि सहकारी चीनी मिलों को** अप्रैल, 2016 से किसानों को उचित एवं लाभकारी या राज्य परामर्शित मूल्य तक उच्च गन्ना मूल्य का भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना होगा।

38. **चीनी सहकारी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लंबित मुद्दों का समाधान** : सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2023-24 में एक प्रावधान किया है, जिसमें चीनी सहकारी समितियों को आकलन वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को उनके भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति दी गई है, जिससे उन्हें 46,000 करोड़ रुपये से अधिक की राहत मिलेगी।

39. **चीनी सहकारी मिलों को मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की ऋण योजना शुरू की गई** : सरकार ने इथेनॉल संयंत्र या सह उत्पादन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी या तीनों उद्देश्यों के लिए एनसीडीसी के माध्यम से एक योजना शुरू की है। अब तक, मंत्रालय ने इस योजना के तहत एनसीडीसी को 875 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23 में 500 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 में 375 करोड़ रुपये) जारी किए हैं और अब तक, एनसीडीसी ने 44 सीएसएम को 9,169.76 करोड़ रुपये की राशि के 80 ऋण स्वीकृत किए हैं।

40. **इथेनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को प्राथमिकता** : इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा इथेनॉल की खरीद के लिए सहकारी चीनी मिलों को अब निजी कंपनियों के बराबर रखा गया है।

41. **सहकारी चीनी मिलों को उनके गुड़-आधारित इथेनॉल संयंत्रों को मल्टी फीड इथेनॉल संयंत्रों में परिवर्तित करके मजबूत बनाना:** सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी चीनी मिलों के मौजूदा गुड़-आधारित इथेनॉल संयंत्रों को मल्टी फीड इथेनॉल संयंत्रों में परिवर्तित करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिलों के संघ लिमिटेड (NFCSFL) के परामर्श से पहल की है। सहकारी चीनी मिलें (CSM) इथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करके गुड़ और चीनी सिरप से इथेनॉल का उत्पादन भी करती हैं। हालाँकि, इथेनॉल के उत्पादन के लिए कच्चे माल यानी गुड़ और चीनी सिरप की उपलब्धता कई कारकों जैसे कि गन्ने के सिरप के डायवर्जन पर सरकारी नीति, बी द्वारा सीमित है। इथेनॉल के उत्पादन के लिए भारी गुड़ और गन्ना पेराई सत्र की अवधि तथा वर्षा पर निर्भर गन्ने की उपलब्धता आदि। इन सीमित कारकों के कारण , इथेनॉल संयंत्र वाले सीएसएम पूरे वर्ष उन्हें पूरी क्षमता से संचालित करने में सक्षम नहीं हैं। भारत सरकार ने इथेनॉल के उत्पादन के लिए मक्का को प्राथमिकता दी है, इसलिए सीएसएम के लिए यह समझदारी है कि वे अपनी मौजूदा इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को मल्टी फीड इथेनॉल उत्पादन इकाइयों में परिवर्तित करें ताकि वे कच्चे माल के रूप में मक्का का उपयोग करके इथेनॉल का उत्पादन करने में सक्षम हों।

42. **गुड़ पर जीएसटी को 28% से** घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है, जिससे सहकारी चीनी मिलें उच्च मार्जिन वाली डिस्टिलरियों को गुड़ बेचकर अपने सदस्यों के लिए अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगी।

E. <u>तीन नई राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सोसायटी</u>

43. **प्रमाणित बीजों के लिए नई राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी बीज सोसायटी:** सरकार ने एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत एक नई शीर्ष बहु-राज्य सहकारी बीज सोसायटी की स्थापना की है,

जिसका नाम भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) है, जो एक ही ब्रांड के तहत गुणवत्तापूर्ण बीजों की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए एक छत्र संगठन है। रबी 2024-25 सीजन के दौरान 5,596 हेक्टेयर में 12 फसलों की 57 किस्मों की बुवाई/रोपण किया गया। इसी तरह, खरीफ 2024 सीजन के दौरान 176.59 हेक्टेयर भूमि पर 8 फसलों की 23 किस्मों की रोपाई की गई है। अब तक 17,425 पैक्स/सहकारी समितियां बीबीएसएसएल की सदस्य बन चुकी हैं।

44. **जैविक खेती के लिए नई राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी जैविक सोसायटी** : सरकार ने एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत एक नई शीर्ष बहु-राज्य सहकारी जैविक सोसायटी की स्थापना की है, जिसका नाम है राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल) जो प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पादों का उत्पादन, वितरण और विपणन करने के लिए एक छत्र संगठन है। अब तक 5,184 पीएसीएस/सहकारी समितियां एनसीओएल की सदस्य बन चुकी हैं। एनसीओएल ने 13 उत्पाद लॉन्च किए हैं, जैसे कि साबुत गेहूं का आटा, मूंग धुली , साबुत मूंग, मूग छिलका दाल, मूग स्प्लिट, अरहर /तूर दाल, साबुत उड़द, उड़द दाल, साबुत मसूर, मसूर मलका, 'भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड' के तहत ब्राउन चना, राजमा चित्रा, चना दाल।

45. **निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी निर्यात सोसायटी** : सरकार ने सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) नामक एक नई शीर्ष बहु-राज्य सहकारी निर्यात सोसायटी की स्थापना की है। अब तक, 7,933 पीएसीएस/सहकारी समितियां एनसीईएल की सदस्य बन चुकी हैं। आज तक, एनसीईएल ने 5,099.24 करोड़ रुपये के निर्यात मूल्य के साथ 12,52,083 मीट्रिक टन वस्तुओं (चावल, चीनी, प्याज, गेहूं, मक्का और जीरा) की कुल निर्यात मात्रा हासिल की है।

F. <u>सहकारिता में क्षमता निर्माण</u>

46. **राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देना:** अपनी पहुंच बढ़ाकर, एनसीसीटी ने 2,872 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और दिसंबर 2024 तक 2,35,060 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

G. <u>'व्यापार करने में आसानी' के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग</u>

47. **केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण** : बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय को कम्प्यूटरीकृत किया गया है, जो समयबद्ध तरीके से आवेदनों और सेवा अनुरोधों को संसाधित करने में सहायता करेगा।

48. **राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में आरसीएस के कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण की योजना: सहकारी समितियों के लिए '** व्यापार करने में आसानी' बढ़ाने और सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पारदर्शी कागज रहित विनियमन के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, आरसीएस कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक केंद्र प्रायोजित परियोजना को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को हार्डवेयर की खरीद, सॉफ्टवेयर के विकास आदि के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। अब तक, 35 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है।

49. **कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) का कम्प्यूटरीकरण** : दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को मजबूत करने के लिए, 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैले कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) की 1,851 इकाइयों के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। नाबार्ड इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। अब तक 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन्हें मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, हार्डवेयर की खरीद, डिजिटलीकरण और सहायता प्रणाली की स्थापना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 में 9 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 5.08 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

H. <u>अन्य पहल</u>

50. **प्रामाणिक और अद्यतन डेटा संग्रह के लिए नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस:** देश भर में सहकारी समितियों से संबंधित नीति निर्माण और कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन में हितधारकों की सुविधा के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश में सहकारी समितियों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है। अब तक, 30 क्षेत्रों में 8.2 लाख से अधिक सहकारी समितियों के डेटा, जिनमें लगभग 30 करोड़ सदस्य हैं, को डेटाबेस में शामिल किया गया है।

51. **सहकारी रैंकिंग ढांचा:** सरकार ने सहकारी समितियों को राज्यवार और क्षेत्रवार रैंक देने के लिए 24 जनवरी 2025 को सहकारी रैंकिंग ढांचा शुरू किया। रैंकिंग ढांचा राज्य आरसीएस को लेखा परीक्षा अनुपालन, परिचालन गतिविधियों, वित्तीय प्रदर्शन, बुनियादी ढांचे और बुनियादी पहचान जानकारी सहित प्रमुख मापदंडों के आधार पर सहकारी समितियों के प्रदर्शन का आकलन करने में सक्षम बनाता है। राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों के आरसीएस, एनसीडी पोर्टल पर लॉगिन के माध्यम से, सहकारी समितियों की रैंक तैयार कर सकते हैं, शुरुआत में 7 प्रमुख क्षेत्रों जैसे पीएसीएस, डेयरी, मत्स्य पालन, शहरी सहकारी बैंक, आवास, ऋण और बचत, और खादी और ग्राम उद्योग। इस रैंकिंग प्रणाली का उद्देश्य सहकारी समितियों के बीच पारदर्शिता, विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है, जिससे अंततः उनकी वृद्धि को बढ़ावा मिले

52. **भारत में सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष - 2025:** संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और स्थिरता में सहकारिता की भूमिका को उजागर करने के लिए 2025 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (IYC 2025) घोषित किया है। सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी संघों, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर एक कार्य योजना विकसित की है, जिसमें PACS के माध्यम से पारदर्शिता, नीति सुधार और ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन पर जोर दिया गया है। गतिविधियों में प्रशिक्षण, बोर्ड मीटिंग, सहकारी ध्वज फहराना, प्रदर्शनियाँ और जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय विस्तार कार्यशालाएँ शामिल हैं। प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर समितियाँ बनाई गई हैं। राष्ट्रीय निष्पादन समिति (NEC) और राष्ट्रीय सहकारी समिति (NCC) समन्वय और वित्तीय जुटाव की देखरेख करेंगी। राज्य शीर्ष समितियाँ (SAC), राज्य और जिला सहकारी विकास समितियों (SCDC और DCDC) के साथ मिलकर राज्य/जिला/ग्राम स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन और प्रबंधन करेंगी।

53. **बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2023 : शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही बढ़ाने, चुनावी प्रक्रिया में सुधार और** बहु-राज्य सहकारी समितियों

में 97 वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को शामिल करने के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 में संशोधन लाया गया है।

54. **सहकारी लोकपाल:** बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (MSCS) अधिनियम, 2002 में संशोधन के बाद, उक्त अधिनियम की धारा 85A के अंतर्गत दिनांक 05.03.2024 के राजपत्र अधिसूचना के तहत सहकारी लोकपाल की नियुक्ति की गई है। लोकपाल कार्यालय पूरी तरह से काम कर रहा है और MSCS के सदस्यों की जमाराशियों, बहु-राज्य सहकारी समिति के कामकाज के न्यायसंगत लाभों या संबंधित सदस्य के व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाले किसी अन्य मुद्दे के बारे में शिकायतों या अपीलों से निपटता है।

55. **सहकारी चुनाव प्राधिकरण (सीईए): बहु-राज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 में संशोधन के बाद, शासन और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य सभी एमएससीएस में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है।** दिसंबर, 2024 तक 80 से अधिक एमएससीएस में चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं।

56. **सहकारी समितियों को GeM पोर्टल पर 'खरीदार' के रूप में शामिल करना:** सरकार ने सहकारी समितियों को GeM पर 'खरीदार' के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति दी है, जिससे वे 67 लाख से अधिक विक्रेताओं से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर सकेंगे, जिससे किफायती खरीद और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। अब तक 574 सहकारी समितियों को खरीदारों के रूप में GeM पर शामिल किया गया है।

57. **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का विस्तार इसकी सीमा और गहराई बढ़ाने के लिए** : एनसीडीसी ने विभिन्न क्षेत्रों में नई योजनाएं शुरू की हैं जैसे ' स्वयंशक्ति' , ... एनसीडीसी ने स्वयं सहायता समूहों के लिए ' सहकार ', दीर्घावधि कृषि ऋण के लिए ' दीर्घावधि कृषक सहकार ' और डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार ' जैसी योजनाएं शुरू की हैं । चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक एनसीडीसी द्वारा कुल 84,673.70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की जा चुकी है ।

58. **गहरे समुद्र में चलने वाले ट्रॉलरों के लिए एनसीडीसी द्वारा वित्तीय सहायता** : एनसीडीसी मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार के समन्वय में गहरे समुद्र में चलने वाले ट्रॉलरों से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। एनसीडीसी ने महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की मत्स्य सहकारी समितियों के लिए कुल 44 गहरे समुद्र में चलने वाले ट्रॉलरों की खरीद के लिए 25.95 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता पहले ही मंजूर कर दी है।

59. **राष्ट्रीय सहयोग नीति (एनसीपी):** सहकारिता मंत्रालय के अधिदेश - " सहकार से समृद्धि" को पूरा करने के लिए नई राष्ट्रीय सहयोग नीति (एनसीपी) के निर्माण की परिकल्पना की गई है। सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों (सहकारिता) और आरसीएस और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के साथ श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु के नेतृत्व में 2.9.2022 को एक राष्ट्रीय स्तर की समिति

का गठन किया गया था ताकि सहकारी क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए नई सहकारिता नीति तैयार की जा सके। समिति ने हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए पूरे देश में चार क्षेत्रीय कार्यशालाएँ आयोजित कीं। प्राप्त सुझावों को उचित रूप से मसौदा नीति में शामिल किया गया है। मसौदा नीति तैयार कर ली गई है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

60. **सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को धन वापसी** : सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पारदर्शी तरीके से भुगतान करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है। उचित पहचान और उनकी जमा राशि और दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद भुगतान शुरू हो चुका है। अब तक 11.61 लाख आवेदकों को 2,025.75 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं ।

****